



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 5093 वर्ष 2026

रोहित कुमार और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट, लखनऊ और 2 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जियाउद्दीन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। श्री मन्नु दीक्षित, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थिति दर्ज की है।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 से याचिकाकर्तागण द्वारा लिए गए एक ऋण के अनुसरण में कुछ विवाद बकाया/लंबित हैं।
3. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत संबंधित ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है, तथापि इस प्रक्रम पर याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तैयार हैं।
4. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्तागण को इस बात से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि आदेश दिनांक 25.07.2025 के निबंधनों के अनुसार, प्रतिभूति आस्तियों, जो कि याचिकाकर्तागण का एक आवासीय मकान है, का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 07.05.2026 को ले लिया गया है और ऐसा करते समय, यद्यपि कब्जा लेते समय प्रत्यर्थी संख्या 3 वहां रखी वस्तुओं की एक सूची तैयार करने के लिए बाध्य था, किंतु ऐसा नहीं किया गया।
5. बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता कब्जे से बाहर हैं, यद्यपि उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, विनष्टशील वस्तुएं, खाद्यान्न, दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सामान वहीं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पड़े हुए हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्तागण को उन्हें ले जाने की अनुमति दी जाए और इस बीच मुद्दे को सुलझाने का एक गंभीर प्रयास किया जाएगा।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री मन्नू दीक्षित ने सहृदयतापूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जहां तक सूची का संबंध है, वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्तागण की उपस्थिति में तैयार की जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, विनष्टशील वस्तुएं, खाद्यान्न, दवाएं ले जाना चाहते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि वह यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एकमुश्त समाधान योजना पर समयबद्ध तरीके से विचार किया जाए और यदि याचिकाकर्ता इसका पालन नहीं करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 को आगे की कार्यवाही करने की अनुमति दी जाए तथा कब्जे की पुनर्स्थापना केवल एकमुश्त समाधान योजना के अंतिम रूप से स्वीकार होने और उसका पालन किए जाने के पश्चात ही की जानी चाहिए।

7. पक्षकारों के मध्य बने उक्त सर्वसम्मति के आलोक में यह न्यायालय इस प्रक्रम पर इस विचार का है कि याचिका को लंबित रखने या प्रति-शपथ पत्र मांगने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः याचिका को पक्षकारों के मध्य बनी सर्वसम्मति के आलोक में निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता एकमुश्त समाधान योजना हेतु एक अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विचार किया जाएगा और इसे आज से तीन सप्ताह के भीतर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। यद्यपि संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्तागण को एकमुश्त समाधान योजना के अंतिम रूप लेने और याचिकाकर्तागण द्वारा संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिए जाने के पश्चात ही पुनर्स्थापित किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह भी उपबंधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 09.06.2026 को प्रातः 10:00 बजे प्रश्नगत संपत्ति पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिकारी भी नियत समय एवं तिथि पर प्रश्नगत संपत्ति पर उपस्थित रहेंगे, जिनकी उपस्थिति में परिसर का ताला खोला जाएगा और एक सूची तैयार करने के पश्चात याचिकाकर्ता अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, विनष्टशील वस्तुएं, दवाएं एवं ऐसी ही अन्य वस्तुएं ले जाने के अधिकारी होंगे। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 3 परिसर को पुनः ताला लगाकर अपने अधीन लेंगे।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

जून 5, 2026

राकेश/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।